

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, छठां तल, लखनऊ

संख्या:-एम0ई0-2/2015/342

लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2015

::राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जालौन, सहारनपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ तथा बॉदा में संविदा के आधार पर आचार्य,

सह-आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित :::

शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जालौन, सहारनपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ तथा बॉदा में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन **वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in- Interview)** पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ **दिनांक 16.03.2015 दिन सोमवार** को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, जवाहर भवन, छठां तल, लखनऊ में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

		चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति																																	
क.	विशिष्टता का नाम	कन्नौज			आजमगढ़			अम्बेडकरनगर			जालौन			सहारनपुर			इलाहाबाद			झाँसी			आगरा			गोरखपुर			मेरठ			बॉदा			योग
		आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता				
1	एनाटमी		1		1	1		1	1		1		1		1														2		1	1	2	15	
2	फिजियोलोजी				1					1				1	1	1												1		1	1	2	15		
3	बायोकेमिस्ट्री							1						1	3				1				1				1			1			11		
4	फार्माकोलोजी	1			1			1		1			1	2	1				1		1	1		1						1			14		
5	पैथालोजी				1			1	2			2		1				1		2		1	3					4			1		19		
6	माइक्रोबायलोजी	1	1		1	1		1		1	1			1	2			1	1		1			1			1		1		1		17		
7	फोरेन्सिक मेडिसिन			1	1					1									1	1		2			1			1				1	10		
8	कम्युनिटी मेडिसिन		1			2	2		2		2	2						1	1			1	4			2			1		1		22		
9	इपीडेमोलॉजिस्ट कम प्रवक्ता					1					1							1			1												4		
10	सामान्य मेडिसिन		1			3			1		1	3	2	1			1			2		3	3				1	2		1	1	1	27		
11	पीडियाट्रिक्स		1			1	1		1			2					3					1	2				4	1			1		18		
12	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	1				1			1		1								1								1	1					8		
13	रिक्त एण्ड वी0डी0	1		1	1			1		1		1							1			1											8		
14	साइकियाट्री	1				1			1		1											1					1	1					8		

10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

महानिदेशक